



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-117

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 323376 दिनांक 06/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Puran Chandra Mourya S/o Prahlad Ram	श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री प्रहलाद राम मोर्य	131	120.00 SQ. METER	JDA	PITAMBRA YOJANA Sector/Block-A	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के भूखण्ड सं. ए-131 क्षे. 120.00 व.मी. का कब्जा पत्र श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री प्रहलाद राम मोर्य को दिनांक 09.04.2009 को जारी किया गया। श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री प्रहलाद राम मोर्य की मृत्यु दिनांक 05.04.2008 को हो गई। श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री प्रहलाद राम मोर्य के वारीसान निम्नानुसार है 1. श्री चिंरजी लाल मोर्य पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद राम मोर्य, 2. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री बाबूलाल जगरवाल पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद राम मोर्य,



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

3. श्रीमती मोता देवी पत्नी श्री जगदीश बसेठिया पुत्री स्व० श्री प्रहलाद राम मोर्य,
4. श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द औलोरिया पुत्री स्व० श्री प्रहलाद राम मोर्य द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड के समस्त अधिकार श्री पुरण चन्द मोर्य पुत्र स्व० श्री प्रहलाद राम मोर्य को दिनांक 04.06.2015 को कर दिये गये। आवेदनकर्ता श्री पुरण चन्द मोर्य पुत्र स्व० श्री प्रहलाद राम मोर्य द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Puran Chandra Mourya S/o Prahlad Ram को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।